न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 34/2025

श्री कानाराम पुत्र स्व. श्री अणदाराम जामि बांवरिया, निवासी खसरा नम्बर 47, ग्राम उजोली, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर। (राज.)

.....*अपीलार्थी।*

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर।
2. नायब तहसीलदार, रूपनगढ़

..... **अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट्स)**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण सं 09/2025 में दिये गये आदेश दि. 09.07.2025

———

अभिभाषक :– 1. श्री पुष्पेन्द्र गोदरा, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक 17.10.2025

न्यायालय अपर जिला कलक्टर

अपर कलक्टर,
अजमेर

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री कानाराम पुत्र स्व. श्री अणदाराम जाति बांवरिया निवासी ग्राम कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ने ग्राम उजोली तहसील रूपनगढ़ के खसरा नम्बर 47 किस्म बा–3 रकबा 0.3155है0 में से 0.2500है0 भूमि पर तम्बू लगाकर व कच्चा छपरा, बबूल की कांटेदार झाड़ियाँ डालकर कब्जा कर लिया। इस आशय की पटवारी हल्का उजोली की रिपोर्ट नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 09/2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पंजीकृत किया जाकर विधिवत एवं नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त दिनांक 16.04.2025 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर तीन माह के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 09.07.2025 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय से आक्षेपीय आदेश से सम्बन्धित रिकॉर्ड मंगवाया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्धान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट विवादित भूमि का कभी भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं रहा है तथा न ही पटवारी हल्का ने तहसीलदार के समक्ष इस आशय के ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। परन्तु नायब तहसीलदार

रूपनगढ़ ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। उन्होने यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट से द्वेषता रखने के कारण अपीलान्ट की सिवायचक भूमि पर कब्जा किये जाने की झूठी रिपोर्ट तैयार नायब तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है, न ही प्रकरण में पटवारी हल्का को तलब कर बयान लिये है न ही अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान किया है, न ही कब्जा सम्बन्ध में किसी प्रकार की जाँच करायी है, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सिविल कारावास की सजा दी है। उन्होने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का वर्तमान में कब्जा नहीं है तथा शास्ति की राशि भी जमा करवा दी है, अपीलानट अनुसूचित बागरिया जाति का गरीब व्यक्ति है तथा परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति हैं, अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर नायब तहसीलदार रूपनगढ़ का आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है।

विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि अतिक्रमण किया है इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है, वर्तमान में विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है तथा शास्ति जमा करवा दी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। नायब तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण करे कि यदि अपीलान्ट का कब्जा हो तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी अन्यथा स्थिति में केवल सजा माफ की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से तम्बू लगाकर व कच्चा छपरा, बबूल की कांटेदार झाड़ियाँ डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है, प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 09.04.2025 से अपीलान्ट पर शास्ति आरोपित की जाकर बेदखली के आदेश जारी किये गये थे, जिसकी पालना में अपीलान्ट को दिनांक 23.04.2025 को पुलिस जाब्ता व ग्रामीणो की उपस्थिति में बेदखल किया जा चुका है। फिर भी अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है।

अतः नायब तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 09/2025 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 3 माह के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्ट के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार रूपनगढ़ स्वयं अथवा हल्का पटवारी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा उन्होने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा यदि अपीलान्ट द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्ट को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्ट की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति नायब तहसीलदार रूपनगढ़ को आदेश में वर्णित निर्देशों की पालनार्थ भिजवायी जावें

(ज्योति ककवानी)
ज्योति ककवानी
अपर जिला कलक्टर,
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर